जे0जे0एक्ट / मानदेय

संख्या– [illegible] /60–1–11–1/13(86)/04

प्रेषक,

वलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग– 1 लखनऊ : दिनांक : 24 जून, 2011

विषय– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत समेकित बाल संरक्षण योजना के प्राविधानों के अनुरूप संचालित बाल कल्याण समिति के सदस्यों/अध्यक्षों (सामाजिक कार्यकर्ताओं) को यात्रा / बैठक भत्ता या मानदेय दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या– 4921/60–1–10–1/13(71)/06 दिनांक 03 दिसम्बर, 2010 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश में दिनांक 24–11–2010 से समेकित बाल संरक्षण योजना लागू की गयी है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में बाल कल्याण समिति का गठन किया जाना है। वर्तमान में 69 जनपदों में बाल कल्याण समिति के गठन की अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है। बाल कल्याण समिति मे चार सदस्य एवं एक अध्यक्ष (सामाजिक कार्यकर्ता) कार्यरत हैं।

3– समेकित बाल संरक्षण योजना (INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME) के प्राविधानों के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों (सामाजिक कार्यकर्ताओं) को रू0 500/– प्रति बैठक प्रति सदस्य की दर से यात्रा/बैठक भत्ता या मानदेय के रूप में 12 बैठक प्रतिमाह तथा एक बैठक की कार्य अवधि कम से कम 04 घण्टे के आधार पर अधिकतम 12 बैठकों की धनराशि एक सदस्य के लिए रू0 6000/– की सीमा तक दिए जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– उक्त आदेश प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण योजना लागू होने की तिथि 24–11–2010 से प्रभावी होगा।

5- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2001-12 के व्यय अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-6-बाल कल्याण समिति की स्थापना(के035/रा065-के0+रा0) के नामे डाला जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के की अशासकीय संख्या-ई-3-887(1)/दस-11 दिनांक 23.06.11 ..... में प्राप्त सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(वलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- : (1)/60-1-11,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त कोषाधिकारी/प्रभारी कोषाअधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी/समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 3
8. गार्ड फाईल/पत्रावली संख्या- 113(25)/01, पत्रावली संख्या- 1/13(69)/04 तथा पत्रावली संख्या- 24रिट/05 में रखने हेतु।

आज्ञा से,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।